

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... मन भावती ..... बनाम ..... शेखर .....  
 किस्म मुकदमा ..... 225 ..... मु. नं० ..... वर्ष 2018 .....

दिनांक	विवरण
9-4-18	अपील दायर की जा चुकी है। रिजपोस्ट के माटिस जमा है। रिज का वेकाउ तलब कर दि. 11-6-18 को पत्रावली <u>शेखर</u>
11-6-18	पत्रावली प्रस्तुत वकील अर्जेंट/रिजपोस्ट पीठस्थीन अर्जेंट/रिजपोस्ट पर है। अतः पत्रावली पूर्व आ. नु. 24/9/18 को पत्रावली <u>शेखर</u>
30-9-18	पत्रावली प्रस्तुत वकील अर्जेंट/रिजपोस्ट पीठस्थीन अर्जेंट/रिजपोस्ट पर है। अतः पत्रावली पूर्व आ. नु. 24/9/18 को पत्रावली <u>शेखर</u>
24-9-18	पत्रावली पेश। वकील अपील एवं अपीलांट के बीच बार बार आवेज दिखाई गईं न्यायालय सभ्य सांयकाल इजे तक बार का दिखाई गईं। इन्तजार किया गया कि उनके आवेज अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता के रिजपोस्ट एवं फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी के अदम पीररी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर घाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। <u>शेखर</u> <u>24.9.18</u> <b>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी</b> <b>सीकर</b>



सत्यमेव जयते  
 Web Copy Not Official

